

जयपुर विकास प्राधिकरण

कार्यवाही विवरण

भवन मानचित्र समिति (ले आउट प्लान) की 240 वीं बैठक दिनांक 23.11.2016 को अपरान्ह 11.00 बजे आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। एजेण्डा संख्या 1, 2, 3 व अतिरिक्त एजेण्डा संख्या 2, 3 वरिष्ठ नगर नियोजक बीपीसी एल पी – प्रथम एवं अतिरिक्त एजेण्डा संख्या 1 अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक मास्टर प्लान द्वारा प्रस्तुत किया गया। कार्यवाही विवरण को संकलित कर इकजाई कार्यवाही विवरण तैयार किया गया है जो निम्नानुसार है :-

बैठक में समिति के निम्न सदस्यों ने भाग लिया।

1. श्री पुरषोत्तम बियानी, सचिव, जविप्रा, जयपुर
2. श्री ओ.पी.बुनकर, अतिरिक्त आयुक्त (प्रशासन) एवं पी.आर.एन., जविप्रा, जयपुर
3. श्रीमती साधना शर्मा, सदस्य सचिव, भवन मानचित्र समिति (ले आउट प्लान) जविप्रा, जयपुर।

बैठक में निम्न अधिकारी उपस्थित थे :

1. श्री बी.डी जाट, अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक (मास्टर प्लान)
2. श्री शशीकान्त, वरिष्ठ नगर नियोजक (मास्टर प्लान)
3. श्री असलम शेर खॉन उपायुक्त जोन - 4
4. श्री अशोक कुमार चौधरी उपायुक्त जोन - 8
5. श्री देवेन्द्र कुमार जैन उपायुक्त जोन - 11
6. श्री राजकुमार सिंह उपायुक्त जोन - 12
7. श्री रामलाल गुर्जर उपायुक्त जोन - 14
8. श्रीमती उषा जैन सलाहकार जनसम्पर्क
9. सहायक नगर नियोजक जोन - 04, 12, ,14,

एजेण्डा संख्या:-1

240 / 23.11.2016

विषय :- बी.पी.सी (एलपी) की बैठक संख्या 239 के कार्यवाही की पुष्टि हेतु।
समिति द्वारा कार्यवाही विवरण की पुष्टि की गई।

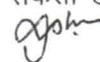
एजेण्डा संख्या:-2 (जोन-11)

240 / 23.11.2016

विषय :- मैसर्स अरावली बिल्डर्स को ग्राम मदाऊ तहसील सांगानेर के खसरा नं. 36/8 रकबा 0.16 हैक्टेयर, ख.न. 34 रकबा 0.69 हैक्टेयर, ख.नं. 59/550 रकबा 0.40 हैक्टेयर, कुल किता 3 कुल रकबा 1.25 हैक्टेयर भूमि का मुख्यमंत्री जन आवास योजना के तहत एकल पट्टा अनुमोदनार्थ।

समिति द्वारा प्रकरण पर विचार-विमर्श पश्चात् प्रस्तावित भूमि में से जो क्षेत्र मास्टर विकास योजना-2025 अनुसार भू-उपयोग संस्थानिक अन्तर्गत है, उस क्षेत्र का भू-उपयोग परिवर्तन आवासीय होने के पश्चात् सम्पूर्ण भूमि का मुख्यमंत्री जन आवास योजना के तहत (3ए के अन्तर्गत) आवासीय (फ्लेट्स/ग्रुप हाउसिंग) प्रयोजनार्थ एकल पट्टा सशर्त अनुमोदन का निर्णय लिया गया।

प्रकरण 2 हैक्टेयर से कम क्षेत्रफल का होने के कारण नगरीय एवं आवासन विभाग द्वारा जारी आदेश क्रमांक प.3(77)न.वि.वि/3/2010 पार्ट IV दिनांक 22.11.2016 अनुसार विकासकर्ता 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र के बराबर भूमि की नियमानुसार राशि जमा करवा सकता है अथवा राशि के स्थान पर 5 प्रतिशत भूमि भी समर्पित कर सकता है।



एजेण्डा संख्या:-3 (जोन-14)

240/23.11.2016

विषय :- मैसर्स अरिहन्त ड्रीम बिल्ड स्टेट प्रा0लि की वाटिका स्टेट (बैकर्स एन्क्लेव) ग्राम वाटिका एवं ग्वार जाटान तहसील सांगानेर की कुल 14.06 हैक्टेयर भूमि पर आवासीय योजना अनुमोदन बाबत।

विकासकर्ता द्वारा प्रस्तुत योजना मानचित्र में प्रस्तावित आवासीय क्षेत्रफल, आवासीय भूखण्डों को पहुँच मार्ग उपलब्ध न होने आदि बिन्दुओं पर विचार-विमर्श पश्चात् समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि टाउनशिप पॉलिसी के प्रावधानानुसार योजना मानचित्र प्रस्तुत करने हेतु आवेदक को सूचित किया जाए।

अतिरिक्त एजेण्डा संख्या:-1 (जोन-4)

240/23.11.2016

विषय :- माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा दिये गये आदेशानुसार मिलाप नगर योजना की अनुमोदित

80 फिट सेक्टर सड़क में से 60 फिट तक अतिक्रमण हटाने हेतु डिमार्केशन लाईन निर्धारित करने के संबंध में।

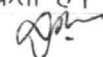
उपायुक्त जोन द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा पर समिति द्वारा विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि मौके पर कैलाशपुरी से ब्लड बैंक तिराहे तक अलाइन्गमेन्ट कैलाशपुरी योजना की स्वीकृत साठ फिट सड़क के अलाइन्गमेन्ट में रखते हुए साठ फिट व अस्सी फिट अनुमोदित सेक्टर प्लान के अनुसार दोनों चौड़ाई में स्पष्ट डिमार्केशन जोन स्तर से किया जावे। समिति द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि माननीय न्यायालय द्वारा दिये गये आदेश की अनुपालना में वर्तमान में मिलाप नगर योजना में सड़क की चौड़ाई साठ फिट तक अतिक्रमण हटाया जाना सुनिश्चित किया जावे।

अतिरिक्त एजेण्डा संख्या:-2 (जोन-11)

240/23.11.2016

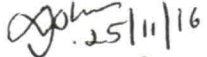
विषय :- आवेदक श्री कुंज बिहारी के द्वारा ग्राम केश्यावाला, तह0 सांगानेर की 1.05 हैक्टेयर भूमि पर मुख्यमंत्री जन आवास योजना के तहत (3ए के अन्तर्गत) एकल पट्टा अनुमोदन बाबत।

समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् मुख्यमंत्री जन आवास योजना के तहत (3ए के अन्तर्गत) आवासीय (फ्लेट्स/ग्रुप हाउसिंग) प्रयोजनार्थ एकल पट्टा अनुमोदन का निर्णय लिया गया। प्रकरण 2 हैक्टेयर से कम क्षेत्रफल का होने के कारण नगरीय एवं आवासन विभाग द्वारा जारी आदेश क्रमांक प.3(77)न.वि.वि/3/2010 पार्ट IV दिनांक 22.11.2016 अनुसार विकासकर्ता 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र के बराबर भूमि की नियमानुसार राशि जमा करवा सकता है अथवा राशि के स्थान पर 5 प्रतिशत भूमि भी समर्पित कर सकता है।



विषय :- आवेदक श्री कैलाश चन्द शर्मा, ग्राम-राजावास, तह0 आमेर, जिला जयपुर के 2.77 हैक्टेयर पर मुख्यमंत्री जन आवास योजना हेतु एकल पट्टा अनुमोदन हेतु।

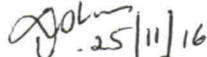
प्रस्तुत योजना को उपलब्ध पहुँच मार्ग आदि बिन्दुओं पर समिति द्वारा विचार विमर्श कर यह निर्णय लिया गया कि सदस्य सचिव, बी.पी.सी-एलपी एवं उपायुक्त जोन संयुक्त रूप से मौका निरीक्षण कर रिपोर्ट सहित प्रकरण को पुनः आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाए एवं 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र के उपयोग हेतु उचित एप्रोच का प्रावधान भी कराया जाए।


सदस्य सचिव

भवन मानचित्र समिति (ले आउट प्लान)

क्रमांक: जविप्रा/स.स/बीपीसी (एल.पी.)/2016 /डी-140 दिनांक 25/11/16
प्रतिलिपी सूचनार्थ:-

1. निजी सचिव, आयुक्त, जविप्रा, जयपुर।
2. निजी सचिव, सचिव, जविप्रा, जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक (नगर आयोजना) जविप्रा, जयपुर।
4. अतिरिक्त आयुक्त (पूर्व/पश्चिम /पीआरएन/एल.पी.सी - भूमि) जविप्रा, जयपुर।
5. अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक (एम.पी.) जविप्रा, जयपुर।
6. वरिष्ठ नगर नियोजक (बीपीसी एलपी) प्रथम/द्वितीय
7. वरिष्ठ नगर नियोजक (मास्टर प्लान) प्रथम/द्वितीय जविप्रा, जयपुर।
8. उपायुक्त जोन 1 से 14 एवं पृथ्वीराज नगर उत्तर /दक्षिण जविप्रा, जयपुर।
9. विशेषाधिकारी जनसम्पर्क, जविप्रा, जयपुर।
10. उप रजिस्ट्रार सहकारिता, जविप्रा, जयपुर।


सदस्य सचिव

भवन मानचित्र समिति (ले आउट प्लान)